



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223164
CG-DL-E-18112020-223164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3634]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942

No. 3634]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2020

का.आ. 4135(अ).—यतः, मै. डीएलएफ लिमिटेड, ने हरियाणा राज्य में गुरुग्राम जिले के वजीराबाद तहसील, बँधवारी गांव में आई.टी./आई.टी.ई.एस. (एसईजेड-II) की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उनको उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल, 2020 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त स्थान के **23.978 हेक्टेयर** के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खेवात/खाता संख्याओं के क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्रम. सं.	गांव का नाम	खेवात/खाता संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	बँधवारी	336/337	3.1918
2.		481/488	1.2141
3.		470/476	0.9282

4.		453/458	0.6272
5.		448/453	1.4570
6.		445/450	2.8684
7.		469/474	0.0607
8.		504/514	4.0901
9.		261/262	0.0932
10.		470/477	0.3946
11.		388/390	1.2141
12.		388/391	1.1965
13.		469/475	2.9644
14.		506/516	3.6777
कुल			23.978

और अतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा गठित करती है जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक **12 नवम्बर, 2020** को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. के-43016(12)/2/2020—एसईजेड]

एस. किशोर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2020

S.O. 4135(E).—Whereas, M/s. DLF Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an IT/ITES (SEZ-II) at Village Bandhwari, Tehsil- Wazirabad, District Gurugram in the State of Haryana;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on 23rd April, 2020;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the **23.978 hectares** area comprising the Khewat/Khata numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Khewat/ Khata No.	Area (in Hectares)
1.	Bandhwari	336/337	3.1918
2.		481/488	1.2141
3.		470/476	0.9282
4.		453/458	0.6272
5.		448/453	1.4570
6.		445/450	2.8684
7.		469/474	0.0607
8.		504/514	4.0901
9.		261/262	0.0932
10.		470/477	0.3946
11.		388/390	1.2141
12.		388/391	1.1965
13.		469/475	2.9644
14.		506/516	3.6777
Total			23.978

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson <i>ex officio</i> ;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member <i>ex officio</i> ;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;

5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member <i>ex officio</i> ;
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the **12th November, 2020** as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. K-43016(12)/2/2020-SEZ]

S. KISHORE, Addl. Secy.